



बिहार सरकार
की योजनाएँ



समाज कल्याण विभाग



अंतर्राष्ट्रीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना

लाभ एवं आवेदन की प्रक्रिया

पात्र लाभुकों को एकमुश्त **₹1,00,000**
(एक लाख रुपया) की सहायता दी जाती है।

लाभुक अपना आवेदन प्रखण्ड कार्यालय स्तर
पर अवस्थित RTPS काउंटर पर जमा करें।
(Offline)

टोल फ्री नं.

18003456262

अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें :

G | <http://esuvidha.bihar.gov.in/>



/prdbihar



@iprd_bihar

#2



बिहार सरकार
की योजनाएँ



समाज कल्याण विभाग



अंतर्राष्ट्रीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना

पात्रता

अंतर्राष्ट्रीय विवाह अथवा दिव्यांग महिला/पुरुष के साथ विवाह करने पर जिसमें महिला एवं पुरुष की आयु 18-21 वर्ष हो तो अंतर्राष्ट्रीय विवाह के लिए महिला को एवं दिव्यांगजन से विवाह के लिए दिव्यांगजन को अनुदान देय होगा।

यदि ऐसे विवाह में पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हो तो दोनों को अनुदान देय होगा। इसी प्रकार दिव्यांगजन यदि अंतर्राष्ट्रीय विवाह करते हैं तो दिव्यांग विवाह के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय विवाह के लिए देय अनुदान भी अनुमान्य होगा।



उद्दृश्यमयकृप यदि पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हों ताकि उनकी जाति भी मिल हो तो पत्नी को अंतर्राष्ट्रीय विवाह एवं दिव्यांग विवाह दोनों के लिए तथा पति को दिव्यांग विवाह हेतु अनुदान की तीन इकाई अनुमान्य होगी।



बिहार सरकार
की योजनाएँ
esuvidha.bihar.gov.in



समाज कल्याण विभाग



अंतर्राष्ट्रीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना

जरूरी दस्तावेज़

उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में जिला से प्राप्त व्यय प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम द्वारा 42A में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

अधिक जानकारी के लिए विलिक करें :

G | <http://esuvidha.bihar.gov.in/> | ☎



टोल फ्री नं.

18003456262

● ● [/iprdbihar](http://iprdbihar) X @iprd_bihar

#3